

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा गैंगस्टर का वाँछित व 25000 /-रुपये का इनामी अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार।

जनपद में वाँछित/ईनामियो अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हल्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.08.2020 को समय प्रातः 04:40 बजे बजे चेंकिंग के दौरान थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का वाँछित व 25 हजार रूपये का पुरुस्कार घोषित अभियुक्त सोनू उर्फ सुन्दर सिंह उर्फ डेंगू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम विसाठ थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को मय एक तमंचा अवैध 12 बोर के गिरफ्तार किया गया है अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 222/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

01-सोनू उर्फ सुन्दर सिंह उर्फ डेंगू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम विसाठ थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

01-एक तमंचा अवैध 12 बोर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू उपरोक्त:-

1- मु0अ0सं0 73/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना हल्दौर

2- मु0अ0सं0 85/20 धारा 3/5/ गौवध निवराण अधिव थाना हल्दौर

3- मु0अ0सं0 201/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हल्दौर

4- मु0अ0सं0 222/2020 धारा 3/25 आयुद्ध अधि10 थाना हल्दौर

अभियुक्त को गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1- श्री राजेश सिंह सोलंकी

2- उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह

3- कां0 प्रदीप कुमार



थाना शेरकोट:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा थाना शेरकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/20 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 के वांछित अभि0 01—वकील अहमद पुत्र अब्दुल अजीज, 02—शमीम अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।



थाना मण्डावर:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि0 इस्माईल पुत्र मौ0 याकूब निवासी मौहल्ला कस्साबान कस्बा व थाना मण्डावर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 191/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।



थाना मण्डावर:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि० राकेश पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम बस्सी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु०अ०सं० 192/2020 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना को०देहात:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा थाना को०देहात पर पंजीकृत मु०अ०सं० /2020 धारा 498ए/323/504/506/354क/377 भादवि० व धारा 3/4 दहेज अधि० व धारा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधि० के वांछित अभि० अकील पुत्र मौ० सत्तार निवासी ग्राम नरगदी थाना को०देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना नगीना:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभि० रिकू पुत्र रामप्रसाद निवासी मौहल्ला शाहजहीर कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को 01 तमन्चा 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर मु०अ०सं० 390/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना हीमपुर:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना हीमपुर पुलिस द्वारा अभि० दिलशाद पुत्र अब्दुल मलिक निवासी धारा थाना हीमपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चे सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर पर मु०अ०सं० 130/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना अफजलगढ़:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि० 01—विनय पुत्र नथू सिंह निवासी कालागढ़, 02—महेन्द्र पुत्र कलबा निवासी आलमपुर गांवड़ी थाना अ०गढ़, 3—दुर्गेश शर्मा, 04—उमेश कुमार शर्मा पुत्रगण स्व० सुरेश चन्द्र शर्मा निवासीगण ग्राम कादराबाद कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार का० न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर भेजा गया।



थाना को०देहात:— आज दिनांक 25.08.2020 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि० जब्बार पुत्र अंजार निवासी उमरी थाना को०देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना रेहड़:- आज दिनांक 25.08.2020 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि0 तेजपाल पुत्र गजेन्द्र निवासी हरवाला थाना रेहड़ को गिरफ्तार किया गया।



नोट:- आज दिनांक 25.08.2020 को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कोरोना वायरस के सम्बन्ध में जारी गाईडलाईन के अनुसार त्योहारों को अपने-अपने घर में मनाने हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में थाना प्रभारी शिवालाकलां व हल्दौर द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति समिति की मीटिंग की गयी।





बैंक चेकिंग:- पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बैंकों को चैक कर बैंक में आने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क लगाने तथा कैश जमा/निकासी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की।



